

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य-कर विभाग।

पत्र संख्या-वा0कर1/वैट/संशोधन/1/2006-1209 /राँची, दिनांक-30/5/11

प्रेषक,

अलका तिवारी,
सचिव-सह-आयुक्त,
वाणिज्य-कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र०) एवं अपील
सभी वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी।

विषय:-

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2011 के साथ पठित अधिसूचना संख्या एस० ओ० 01 एवं 02 दिनांक 07.05.2011 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विभाग द्वारा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (झारखण्ड अध्यादेश संख्या 02/2011) के साथ पठित अधिसूचना संख्या एस. ओ. 01 एवं 02 दिनांक 07.05.2011 के माध्यम से झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में कतिपय महत्वपूर्ण एवं राजस्वोन्मुखी संशोधन किए गए हैं।

संबंधित संशोधनों का अभिप्राय/ objectives निम्नवत् है :-

- (1) बिक्रय मूल्य (Sale price) की वर्तमान परिभाषा में संशोधन करते हुए धारा 9 में एक नई उपधारा 9(5) एवं धारा 24 में एक नई उपधारा 24(4) जोड़ी गई है। उक्त तीनों संशोधनों के अनुसार अब निबंधित व्यवसायी sale के पश्चात् अगर किसी प्रकार का discount प्रदत्त करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वे पूर्व में उद्ग्रहित कर-राशि या tax component को credit note के माध्यम से प्रभावित नहीं कर सकेंगे।
अगर कोई निबंधित व्यवसायी अपने व्यापारिक उन्नयन हेतु किसी प्रकार के incentive के रूप में किसी वस्तु का free supply करता है, तो ऐसे free supplies को "Sale" माना जाएगा, जिस पर कर की राशि उद्ग्रहित होगी।
- (2) खरीद-कर (Purchase tax) से संबंधित धारा 10 को पूर्व की तुलना में अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ किया गया है।
- (3) धारा 10A के रूप में एक नई धारा जोड़ी गई है, जिसके अन्तर्गत विभाग द्वारा non-vatable goods पर उद्ग्रहित कर-राशि पर अधिसूचना के माध्यम से अधिभार का अधिरोपण करने का प्रावधान किया गया है।

- (4) धारा 13 में कतिपय संशोधनों के उपरांत Part-E में उल्लिखित वस्तुओं पर कर अधिरोपित करने की वर्तमान अधिसीमा 50% को बढ़ाकर 75% कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियां यथा Part-B एवं Part-C के अधीन विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर 5% एवं Part-D के अधीन 14% की कर दर विनिर्दिष्ट की गयी है। Part-F में वैसी वस्तुओं को रखा जा सकता है, जिस पर राज्य-सरकार कोई भी कर-दर अधिरोपित कर सकती है। Part-C में उल्लिखित Industrial Inputs को अब Part-B में स्थानान्तरित करते हुए, Part-B का अनुलग्नक बनाया गया है।
- (5) धारा 18 में संशोधनों के उपरांत निम्नांकित व्यवस्थाएँ की गई है :-
- (क) अन्तर्राज्यीय बिक्री के क्रम में अन्य राज्यों के अनिबंधित व्यवसायी को किए जाने वाले अन्तर्राज्यीय बिक्रय की स्थिति में Input Tax Credit की अनुमान्यता नहीं होगी।
- (ख) अगर कोई निबंधित व्यवसायी ऐसा tax invoice निर्गत करता है जो inclusive of tax है, तो वैसी tax invoices के विरुद्ध input tax credit की सुविधा प्राप्त नहीं हो सकेगी।
- (6) (क) धारा 19 में संशोधनों के उपरांत अगर किसी व्यवसायी का लगातार तीन महीने तक का turnover शून्य है, तो वैसी अवस्था में उनके द्वारा पूर्व में दावा किये गये Input Tax पर Input Tax Credit की सुविधा नहीं प्राप्त हो सकेगी।
- (ख) अगर Input Tax exceeding Output Tax की परिस्थिति बनती है तो exceeded input tax राशि को next tax period या next year में भी carry forward किया जा सकता है।
- (7) (क) धारा 25 में संशोधन कर वैसी intending manufacturers, जो राज्य में कर-देय वस्तुओं का विनिर्माण करना चाहते हैं एवं उद्योग विभाग में पंजीकृत हैं, को बिना किसी कर-दायित्व के भी निबंधन की सुविधा दी जा सकती है।
- (ख) विद्युत ऊर्जा के generation, distribution एवं telecommunication network में आने वाले व्यवसायियों को भी बिना कर-दायित्व के निबंधन दिया जा सकेगा।
- (8) (क) धारा 35 में संशोधनों के उपरांत assessment या self-assessment को युक्तिसंगत बनाया गया है। इन संशोधनों के उपरांत self-assessment एवं अन्य assessment प्रभावी ढंग से पारित किये जा सकेंगे।
- (ख) assessment हेतु दो साल की वर्तमान कालावधि (time barring) को तीन साल कर दिया गया है।

- (9) धारा 40 में **escaped turnover detected before assessment** की स्थिति में वर्तमान 2% प्रतिमाह ब्याज को 5% प्रतिमाह कर दिया गया है।
- (10) धारा 42 में एक नई उपधारा 42(3) जोड़ी गयी है, जिसके अन्तर्गत अंकेक्षण आपत्तियों के विरुद्ध विभागीय पदाधिकारी अंकेक्षण आपत्तियों के निराकरण के उद्देश्य हेतु प्रभावी ढंग से पुनः कर-निर्धारण आदेश पारित कर सकेंगे।
- (11) (क) धारा 79 एवं 80 में **Appeal** एवं **Revision** की कालावधि सीमा (Time barring) दो साल कर दी गई है। संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) को भी धारा 80 के अधीन **revisional power** दी गई है।
- (ख) अगर कोई व्यवसायी किसी भी आदेश के विरुद्ध आयुक्त के न्यायालय में **revision petition** दायर करता है तो, आयुक्त द्वारा सुनवाई के पूर्व विवादित राशि (**disputed amount**) की 10% की राशि तक भुगतान करने का निदेश दिया जा सकता है।
- (12) वैसे निबंधित व्यवसायी जिन्हें **Repealed Act** के अधीन **Appointed Day** के पहले TIN प्राप्त हो गया था, परन्तु निबंधन प्रमाण-पत्र जेवैट-106 प्राप्त नहीं हो सका था या उनके द्वारा जेवैट-100 समर्पित नहीं किया जा सका था एवं ऐसे व्यवसायी **VAT Act** में विवरणी दाखिल कर रहे हैं एवं कर का भुगतान नियमित रूप से कर रहे हैं, वे रुपये 1,000/- अर्थदण्ड के साथ पुनः अपना आवेदन समर्पित कर जेवैट-106 प्राप्त कर सकेंगे।
- (13) **Input** की परिभाषा से **Furnace Oil** एवं **Steam** को अलग किया गया है।

यह पत्र उक्त संशोधनों की वैधानिक विवेचना (Statutory interpretation) न होकर सिर्फ **Clarificatory** प्रकृति का है। विशेष एवं अग्रेतर जानकारी के लिए उक्त अध्यादेश के विभिन्न प्रावधानों एवं संबंधित अधिसूचनाओं का संदर्भ लेना चाहेंगे।

उक्त संशोधनों को विभिन्न तिथियों से प्रभावी किया गया है, जिसके लिए अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1 दिनांक 07.05.2011 का संदर्भ लेना चाहेंगे।

निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2011 द्वारा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में किये गये राजस्वोन्मुखी संशोधनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि उक्त मद में राजस्व वृद्धि परिलक्षित हो सके।

विश्वासभाजन

A. Swamy
सचिव-सह-आयुक्त,
वाणिज्य-कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।

31/5/11